



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 216 राँची, बुधवार,

11 मई, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

8 अप्रैल, 2022

संचिका संख्या-5/स०भू० देवघर (एस०पी० माईन्स)-157/2021-1219/रा०, --

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-30.03.2022 में मद संख्या-53 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ के मौजा-दमगढ़ा, महलजोरी, तुलसीडाबर, चितरा एवं भवानीपुर के विभिन्न थाना संख्या, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न दाग संख्या में अंतर्निहित कुल रकबा-13.83 एकड़ गैरमजरूआ भूमि, किस्म-पहाड़ी, परती कदीम एवं गोचर (गोचर भूमि का रकबा-13.04 एकड़) (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) जिला अवर निबंधक, देवघर के ज्ञापांक-196, दिनांक-

15.07.2020 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का पुनरीक्षित मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार वर्तमान बाजार दर (व्यवसायिक) एवं राजस्व विभागीय संकल्प सं0-48/रा0, दिनांक- 03.01.17 के आलोक में संगणित सलामी की राशि 3,52,15,329/- (तीन करोड़ बावन लाख पन्द्रह हजार तीन सौ उनतीस) रुपये मात्र, सलामी का 1 (एक) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि 3,52,153/- (तीन लाख बावन हजार एक सौ तिरपन) रुपये मात्र, लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि 2,64,115/- (दो लाख चौसठ हजार एक सौ पन्द्रह) रुपये मात्र तथा 29 वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि 1,78,71,780/- (एक करोड़ अठहत्तर लाख एकहत्तर हजार सात सौ अस्सी) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 5,37,03,377/- (पाँच करोड़ सैंतीस लाख तीन हजार तीन सो सतहत्तर) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) ई0सी0एल0 चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी० माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई०सी०एल० (एस०पी० माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने तथा उक्त प्रस्तावित गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ के मौजा-दमगढ़ा एवं महलजोरी, थाना संख्या क्रमशः-521 एवं 499, खाता सं०-47 एवं 33 के विभिन्न दाग सं० में अंतर्निहित कुल रकबा-13.04 एकड़ गैरमजरूआ भूमि, किस्म-परती कदीम, परती पथल एवं पहाड़ी (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-III) को गोचर अधिसूचित करने के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत ।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातो एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे ।
- ii. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।
- iii. प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही जंगल-झाड़ी भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई उपायुक्त, देवघर सुनिश्चित करेंगे ।
- iv. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची निकाय से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- v. इस बंदोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष ' ' 0029 भू-राजस्व-107' के अंतर्गत जमा होगी।

- vi. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, देवघर यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- vii. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- viii. यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- ix. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.17 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

संचिका संख्या-5/संभू० देवघर (एस०पी० माईन्स)-157/2021-1219/रा०,

8 अप्रैल, 2022

अनुलग्नक-I

भूमि का विस्तृत विवरणी :-

अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता नं०	दाग नं०	रकबा(एकड़ में)	किस्म
02/2020-21	देवघर	सारठ	तुलसीडाबर/596	40	862	0.02	परती कदीम
					895	0.06	परती कदीम
कुल						0.08	
01/2020-21	देवघर	सारठ	दमगढ़ा/521	47	231	0.33	परती कदीम
कुल						0.33	
04/2020-21	देवघर	सारठ	चितरा/598	75	409	0.24	परती कदीम
कुल						0.24	
05/2020-21	देवघर	सारठ	भवानीपुर/597	21	116	0.14	परती कदीम
कुल						0.14	
03/2020-21	देवघर	सारठ	तुलसीडाबर/596	40	99	10.90	गोचर
					100	0.34	
					496	1.80	
कुल						13.04	
सकल कुल योग						13.83 एकड़	

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

संचिका संख्या-5/संभू. देवघर (एस०पी० माईन्स)-157/2021-1219/रा०,

8 अप्रैल, 2022

अनुलग्नक-II

भूमि का मूल्य गणना विवरणी :-

अभिलेख सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का मूल्य प्रति एकड़	सलामी की राशि	सलामी का 1 प्रतिशत वार्षिक लगान	लगान का 75 प्रतिशत सेस	29 वर्षों के लिए लगान एवं सेस की राशि	कुल देय राशि (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
02/2020-21	0.08	2546300	203704.00	2037.04	1527.78	103379.78	310648.60
01/2020-21	0.33	2546300	840279.00	8402.79	6302.09	426441.52	1281425.40
04/2020-21	0.24	2546300	611112.00	6111.12	4583.34	310139.34	931945.80
05/2020-21	0.14	2546300	356482.00	3564.82	2673.62	180914.76	543635.20
03/2019-20	13.04	2546300	33203752.00	332037.52	249028.14	16850904.14	50635721.80
कुल	13.83		35215329.00 या 35215329	352153.29 या 352153	264114.97 या 264115	17871779.54 या 17871780	53703376.80 या 53703377

अर्थात् कुल देय राशि 5,37,03,377/- (पाँच करोड़ सैंतीस लाख तीन हजार तीन सौ सतहत्तर) रुपये मात्र ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

संचिका संख्या-5/संभू० देवघर (एस०पी० माईन्स)-157/2021-1219/रा०,

8 अप्रैल, 2022

अनुलग्नक-III

गोचर अधिसूचित की जाने वाली भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01.	25/19-20	देवघर	सारठ	दमगढ़ा	521	47	437	0.08	परती कदीम
							415	0.72	परती कदीम
							496	0.06	परती कदीम
							519	0.29	परती कदीम
							578	3.34	परती कदीम
							718	0.62	परती कदीम
							455	0.41	परती कदीम
							501	0.04	परती कदीम
							583	0.05	परती कदीम
							610	1.31	परती कदीम
							955	0.08	परती कदीम
							645	0.05	परती पथल
कुल								7.05	
02.	26/19-20	देवघर	सारठ	महलजोरी	499	33	224	2.50	परती कदीम
							596	2.50	पहाड़ी
							790	0.99	परती कदीम
कुल								5.99	
सकल कुल योग								13.04	

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।
